

कार्यालय
व0 मंडल सामग्री प्रबंधक(प्रशा0)
समस्तीपुर
दिनांक 29.08.2025

सं0- ERC-SPJOSTRP(Misc)/273/2022

मुख्य कारखाना प्रबंधक,
सभी शाखा अधिकारी,
उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण)-I, II, III, IV
समस्तीपुर

विषय :- स्कैप लॉट के साथ छेड़ छाड़ करने के संबंध में।

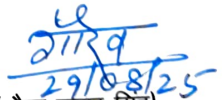
विदित हो कि किसी भी विभाग से बिक्री हेतु प्राप्त ऑफर को उस में वर्णित विवरण/शर्त के अनुसार लॉट लगाकर निलामी सूची में शामिल किया जाता है एवं उसी शर्तानुसार क्रेताओं द्वारा क्रय भी किया जाता है। हाल में कुछ लॉट के संबंध में क्रेता द्वारा शिकायत किया गया है कि लॉट के साथ छेड़-छाड़ किया गया है। बता दें कि ऑफर भेजने के उपरान्त लॉट के साथ छेड़-छाड़ किसी भी स्थिति में नियमसंगत नहीं है।

ज्ञात हो कि लॉट लगाने के उपरान्त किसी भी हाल में लॉट के साथ किसी प्रकार का छेड़-छाड़ नहीं होना चाहिए क्योंकि ऐसा होने पर आगे विवाद एवं कानूनी जटिलता की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

बता दें कि इस मंडल के ही एक ईकाई के कर्मचारी के विरुद्ध उक्त कारणों से सत्कर्तता विभाग के निर्देश पर अनुशासनिक कार्रवाई के तहत मानक फॉर्म-5 निर्गत किया गया है साथ ही उस केस में दंडित भी किया गया है।

अतः आप सभी से अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ प्रभारी/कस्टोडियन को सख्त निर्देश दिया जाय कि लॉट ऑफर होने के बाद एवं अंतिम परिदान होने तक किसी भी प्रकार का कोई छेड़-छाड़ नहीं होना चाहिए ताकि सत्कर्तता विभाग द्वारा दी गई दिशा-निर्देशों का अनुपालन हो सके एवं विवाद या कानूनी जटिलता से बचा जा सके।

इसे अति आवश्यक समझा जाय।


29/08/25
(गौरव कुमार सिंह)
वमंसाप्र(प्रशा.) / सम0

प्रतिलिपि:-

अपर मंडल रेल प्रबंधक/सम0 को सादर सूचनार्थ प्रेषित।


29-8-25